

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर

क्रमांक:

दिनांक :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत, विभिन्न पदों पर पूर्णतः अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निम्नलिखित पदों पर पूर्णतः अनुबंध पर नियुक्ति के लिये ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से भर्ती 2015-16 हेतु उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ये आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित समस्त ई-मित्र (E-mitra) कियोस्क एवं नागरिक सेवा केन्द्र (common service centre) पर दिनांक 02.02.16 से निर्धारित सेवा शुल्क देकर भरे जा सकते हैं। परीक्षार्थी आवेदन पत्र स्वयं भी कहीं से भी ऑनलाइन भर सकते हैं किन्तु निर्धारित परीक्षा शुल्क केवल ई-मित्र (E-mitra) कियोस्क के माध्यम से ही नकद अथवा ऑनलाइन जमा कराया जा सकेगा। निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in एवं www.sihfwrajasthan.com पर दिनांक 02.02.16 से उपलब्ध रहेगी-

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या
1	जी.एन.एम.	3167
2	ए.एन.एम.	1789
3	लैब टेक्नीशियन	48
4	फार्मासिस्ट आर.बी.एस.के.	512
5	फार्मासिस्ट जिला चिकि. एवं सी.एच.सी.	79
6	फिजियोथेरेपिस्ट	7
7	ऑप्टोमीट्रिस्ट	7
8	ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट	7
9	नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	4
10	नर्सिंग ट्यूटर	40
11	पी.एच.एन.	77
12	सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर	31
13	नर्सिंग ट्यूटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा	9
14	नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर, स्टेट नोडल सेन्टर, कोटा	2
15	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	668
16	होम्यो. चिकित्सा अधिकारी	121
17	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	109
18	आयुष चिकित्सक आर.बी.एस.के.	1024
19	आयुष कम्पाउन्डर	150

1. उपरोक्त पदों की इन रिक्तियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार की गार्डलान्स् एवं राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय है एवं तदनु रूप ही श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
2. आयु सीमा की गणना 01.01.2016 को आधार मानकर की जावेगी।
3. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु (आयुष चिकित्सकों को छोड़कर) 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम 10 के उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार शिथिलता देय होगी तथा आयुष कम्पाउन्डर के लिये सम्बन्धित नियमों में उल्लेखितानुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता देय होगी।

4. क्लिनिकल (आयुर्वेद, होम्योपैथ व यूनानी) आयुष चिकित्सकों एवं आयुष चिकित्सक आर.बी.एस.के. (महिला/पुरुष एवं आरक्षित/अनारक्षित) हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। इसमें कोई शिथिलता देय नहीं है।
5. आर.बी.एस.के. के तहत भर्ती किये जाने वाले आयुष चिकित्सकों के कुल पदों (1024) में से आधे पद (512) महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। आर.बी.एस.के. के तहत भर्ती किये जाने वाले आयुष चिकित्सकों के कुल पदों को आयुष पद्धति अनुसार वर्गीकरण कर अंतिम तिथि तक प्राप्त कुल सही (valid) आवेदनों के अनुपात में किया जाकर तदनुसार श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान किया जावेगा।
6. ई-मित्र के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 13.02.16 है।
7. ऑनलाईन आवेदन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 12.02.16 है। इसके पश्चात् ऑनलाईन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
8. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग संभव नहीं है। अतः आवेदक फार्म व आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद में स्वयं से संबंधित प्रविष्टियां यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, मूल निवास, आवेदित पद आदि सावधानी पूर्वक सोच समझ कर सही रूप से दर्ज करावें।
9. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विभाग की विस्तृत विज्ञप्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उसमें उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वयं की पात्रता सुनिश्चित कर ही आवेदन करें।
10. भर्ती के संबंध में सामान्य जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दूरभाष नंबर 0141-2225624/2706534 पर दिनांक 02.02.16 से प्राप्त की जा सकती है।
11. ये भर्तियां पूर्णतः अनुबन्ध पर केवल एक वर्ष अथवा कार्यक्रम/प्रोजेक्ट/परियोजना, जिसके लिये ये सेवाएं ली जा रही हैं, की अवधि जो भी कम हो के लिये की जा रही हैं। प्रोजेक्ट जारी रहने एवं संतोषप्रद सेवाएं पाये जाने पर अनुबंध की अवधि को राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध व सेवाओं की समाप्ति कभी भी कर सकने का राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार होगा।
12. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की भूमिका मात्र परीक्षा के आयोजन करने एवं मेरिट सूची जारी करने तक ही है। इसके उपरान्त भर्ती व अनुबन्ध सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/एन.एच.एम. के माध्यम से सम्पन्न की जावेगी।
13. इन भर्तियों हेतु सजायाफता मुजरिम/मानसिक रोगी जिनका इलाज चल रहा हो तथा नशेड़ी पात्र नहीं होंगे। साथ ही किसी आयोग/सरकार/किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जावेंगे।
14. पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से लिया हुआ नवीनतम अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. कोई भी अभ्यर्थी मात्र आवेदन पत्र जमा करा देने से परीक्षा में भाग लेने का अधिकारी नहीं होगा। परीक्षा में भाग लेने हेतु पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित योग्यता एवं पात्रता की शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र किसी भी कारण से निरस्त होने पर जमा की गई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

नोट:- उक्त विज्ञापित पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी। अभ्यर्थी फार्म भरने व शुल्क जमा कराने से पूर्व विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित योग्यता, शुल्क, भर्ती की प्रक्रिया व अन्य विस्तृत विवरण हेतु दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अवश्य देख लें।

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
संस्थान

दिशा निर्देश

1. आवेदन करने की प्रक्रिया

- (i) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (online application form) लिये जाएंगे। ये आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित समस्त ई-मित्र (E-mitra) कियोस्क एवं नागरिक सेवा केन्द्र (common service centre) पर दिनांक 02.02.16 से निर्धारित सेवा शुल्क देकर भरे जा सकते हैं। परीक्षार्थी आवेदन पत्र स्वयं भी कहीं से भी ऑनलाइन भर सकते हैं किन्तु निर्धारित परीक्षा शुल्क केवल ई-मित्र (E-mitra) के माध्यम से ही नकद अथवा ऑनलाइन जमा कराया जा सकेगा। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे। आवेदन पत्र www.rajswasthya.nic.in एवं www.sihfwrajasthan.com पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भरे जा सकेंगे।
- (ii) अभ्यर्थी दिये गये लिंक के माध्यम से पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिये पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे जिसके पश्चात् एक बेसिक फॉर्म प्राप्त होगा। इस बेसिक फॉर्म को भरने के उपरान्त रजिस्ट्रेशन नं. प्राप्त होगा जिसे नोट कर लें। इसके उपरान्त इस रजिस्ट्रेशन नं. के माध्यम से मेन फॉर्म भरने के लिये लॉग-इन करें। मेन फॉर्म भरने हेतु अपने शैक्षणिक व व्यवसायिक योग्यता सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रति व नवीनतम रंगीन फोटो साथ रखें। फोटो (500 केबी) व हस्ताक्षर (200 केबी) को स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। मेन फॉर्म भर कर सबमिट करने के उपरान्त स्वतः ही रसीद प्रिन्ट करने की विन्डो खुलेगी जिसके बाद रसीद का प्रिन्ट ले लें व इसे सुरक्षित रखें। इस रसीद के माध्यम से ई-मित्र (E-mitra) कियोस्क पर जाकर अपनी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित आवेदन शुल्क ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से जमा करा सकते हैं। ऑन लाइन भुगतान करने हेतु इसी विन्डो पर लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराया जा सकता है। ई-मित्र के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करा देने के बाद ई-मित्र द्वारा एक टोकन नं. दिया जावेगा जिसका इंद्राज फॉर्म में करने पर फॉर्म जमा हो जावेगा। इसके उपरान्त पूर्णतः भरे हुए फॉर्म का प्रिन्ट लिया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी फॉर्म का प्रिन्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
- (iii) अभ्यर्थी ऑन लाइन भरे हुए फॉर्म की सभी प्रविष्टियां ठीक से जाँच लें उसके उपरान्त ही फीस जमा करावें। आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग संभव नहीं है। अतः यदि फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई हो तो अभ्यर्थी नया फॉर्म भरें एवं फॉर्म को पूरी तरह जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही फीस जमा करावें।
- (iv) आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरा जा सकेगा अतः अभ्यर्थी सभी प्रविष्टियों की स्पेलिंग ठीक से चेक कर लें एवं इसका मिलान अपने मूल दस्तावेजों से कर लें।
- (v) परीक्षार्थी को ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ई-मित्र का निर्धारित सेवा शुल्क अतिरिक्त देना होगा (फीस जमा कराने हेतु रू. 5/- एवं ई-मित्र द्वारा फॉर्म भरवाने व जमा कराने हेतु रू. 25/-)

नोट—

1. अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने/सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों की जाँच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं एवं भरे हुए आवेदन फार्म का प्रिन्टआउट भी सुरक्षित रख लें ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सकें।
2. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क की सूची ई-मित्र की वैबसाइट www.emitra.gov.in पर उपलब्ध है।
3. ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित समस्त सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
4. किसी भी आवेदक को जमा किये हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र में एडिटिंग की सुविधा नहीं है एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात् उसमें सुधार हेतु कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने के साथ दण्डक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा उसकी पात्रता उसी श्रेणी के तहत मान्य होगी जिसके लिये अभ्यर्थी को सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
7. कोई भी अभ्यर्थी मात्र आवेदन पत्र जमा करा देने से परीक्षा में भाग लेने का अधिकारी नहीं होगा। परीक्षा में भाग लेने हेतु पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित योग्यता एवं पात्रता की शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र किसी भी कारण से निरस्त होने पर जमा की गई राशि लौटाई नहीं जावेगी।
8. परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने एवं मेरिट सूची में यथेष्ट स्थान प्राप्त करन लेने के उपरान्त भी परीक्षार्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता का निर्णय विभाग के अधिकार के अध्याधीन रहेगा।
9. परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 13.02.16 है।
10. ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 12.02.16 तक भरे जा सकेंगे इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वयं ही निष्क्रिय हो जायेगा।
11. परीक्षा की संभावित तिथि फरवरी माह में 21.2.16 एवं/अथवा 28.2.16 है।

(परीक्षा की तिथि, स्थान व समय में बिना कारण बताये एवं किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा)

2. परीक्षा शुल्क

ऑन लाइन आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार परीक्षा शुल्क (नॉन-रिफन्डेबल) जमा कराना होगा जो पुनः लौटाया नहीं जायेगा—

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर/विशेष पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर वर्ग/राजस्थान राज्य से इतर राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये रु 750/-
- (2) अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन-क्रीमीलेयर)/विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये रु 600/-
- (3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये रु 500/-
- (4) सभी श्रेणी के विशेष योग्यजन एवं विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये रु 300/-

3. आरक्षण:-

- (i) विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण नियमानुसार देय है।
- (ii) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.2007 के अनुसार दर्शाये गये अनुसूचित क्षेत्रों (TSP area) के निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं अधिसूचित सहरिया (किशनगंज व शाहबाद) क्षेत्र के अभ्यर्थियों को नियमानुसार देय होगा। विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों (टीएसपी एरिया) में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13(20) कार्मिक/क-2/90 पार्ट दिनांक 16.06.2013 के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- (iii) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (2)डीओपी/ए- II/88 पार्ट-1 दिनांक 22.12.15 के अनुसरण में सीधी भर्ती में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इस 30 प्रतिशत का एक तिहाई आरक्षण, 80:20 के अनुपात में विधवा (Widow) एवं विच्छिन्न विवाह (Annul Marriage) महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार वर्गवार आरक्षण देय होगा जो कि आपस में इंटरचेन्जेबल (interchangeable) होगा। परन्तु पात्र और उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी तथा पात्र और उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के भी उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जावेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जावेंगी एवं आरक्षण को क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण माना जावेगा, अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
- (iv) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके पिता के नाम/निवास स्थान एवं आय के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम/निवास से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (v) अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके माता/पिता के नाम/निवास स्थान एवं आय के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम/निवास व आय से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री ही मान्य होगी।

(vii) विज्ञापित उक्त पदों के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2007 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (Persons with disabilities) को 3 प्रतिशत आरक्षण Horizontal रूप से देय होगा अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2007 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 में शिड्यूल 32 में वर्णित पद विशेष के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को ही उसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा। विशेष योग्यजन की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मूल जाति वर्ग लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जावेगा।

नोट:- 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता होने पर ही इस वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा।

(viii) कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. एफ-5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15.03.13 की पालना में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम '7C' में उल्लेखित स्तर के प्रमाण पत्र धारित राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार 2 प्रतिशत आरक्षण Horizontal रूप से देय होगा एवं इसका समायोजन उसी प्रवर्ग में किया जावेगा, जिस प्रवर्ग का अभ्यर्थी है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जावेगी।

4. मानदेय:-

चयनित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार नियत मानदेय देय होगा जिसपर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी:-

क्र०सं०	पदनाम	फिक्स मासिक मानदेय
1	जी.एन.एम.	7500 / -
2	ए.एन.एम.	6000 / -
3	लैब टेक्नीशियन	6700 / -
4	फार्मासिस्ट आर.बी.एस.के.	7000 / -
5	फार्मासिस्ट जिला चिकि. एवं सी.एच.सी.	8500 / -
6	फिजियोथेरेपिस्ट	20000 / -
7	ऑप्टोमीट्रिस्ट	8000 / -
8	ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट	20000 / -
9	नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	18000 / -
10	नर्सिंग ट्यूटर	14000 / -
11	पी.एच.एन.	14000 / -
12	सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर	14000 / -
13	नर्सिंग ट्यूटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा	25000 / -
14	नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर, स्टेट नोडल सेन्टर, कोटा	35000 / -
15	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	16800 / -
16	होम्यो. चिकित्सा अधिकारी	16800 / -
17	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	16800 / -
18	आयुष चिकित्सक आर.बी.एस.के.	16800 / -
19	आयुष कम्पाउन्डर	7500 / -

चयनित अभ्यर्थी को उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने पर नियमानुसार मानदेय देय होगा। ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने तथा यदि इन्टरव्यू (साक्षात्कार) भी लिया जाता है तो उसमें भाग लेने हेतु किसी प्रकार का भत्ता/मानदेय देय नहीं होगा।

5. योग्यता :-

भर्ती हेतु विज्ञापित पदों के लिये शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं. सं.	पद का नाम	मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा शैक्षणिक योग्यता	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से प्राप्त न्यूनतम अनिवार्य व्यवसायिक योग्यता
1.	जी.एन.एम.	सीनियर सैकण्ड्री अथवा समकक्ष	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स अथवा समकक्ष योग्यता। 2. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य) 3. इंटर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाणपत्र
2.	ए.एन.एम.	सैकण्ड्री स्तर	1. ए.एन.एम. प्रशिक्षण/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण। 2. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
3.	लैब टेक्नीशियन	जीव विज्ञान या गणित में से किसी एक के साथ विज्ञान में सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य	1. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजस्थान पैरा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन का डिप्लोमा। 2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
4.	फार्मासिस्ट (आर.बी.एस.के.)	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मैसी विषय में डिग्री/डिप्लोमा। 2. राजस्थान फार्मैसी कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
5.	फार्मासिस्ट (जिला चिकि. एवं सी.एच.सी.)	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मैसी विषय में डिग्री/डिप्लोमा। 2. राजस्थान फार्मैसी कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
6.	फिजियोथेरेपिस्ट	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार/ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी विषय में डिग्री/डिप्लोमा।
7.	ऑप्टोमीट्रिस्ट	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार/ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ऑप्टोमीट्रिस्ट विषय में डिप्लोमा।
8.	ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार/ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट विषय में डिप्लोमा।
9.	नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की डिग्री। 2. इन्टर्नशिप पूरा करने का प्रमाण पत्र 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
10.	नर्सिंग ट्यूटर	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग पाठ्यक्रम का डिप्लोमा/डिग्री। 2. इन्टर्नशिप पूरा करने का प्रमाण पत्र 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
11.	पी.एच.एन.	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एस. सी. नर्सिंग अथवा समकक्ष योग्यता 2. इन्टर्नशिप पूरा करने का प्रमाण पत्र 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
12.	सीनियर सैनिटरी	सैकेण्डरी अथवा समकक्ष	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से

	इंस्पेक्टर		सैनेट्री इंस्पेक्टर का डिप्लोमा
13.	नर्सिंग ट्यूटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटा	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग पाठ्यक्रम में एम.एस.सी. डिग्री। 2. इन्टर्नशिप पूरा करने का प्रमाण पत्र 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
14.	नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर, स्टेट नोडल सेन्टर, कोटा	जीव विज्ञान विषय सहित सीनियर सैकेण्डरी	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग पाठ्यक्रम में एम.एस.सी. डिग्री। 2. इन्टर्नशिप पूरा करने का प्रमाण पत्र 3. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन (अनिवार्य)
15.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी		Degree of Bhashagacharya/ Ayurvedacharya/ Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.) awarded by University of Rajasthan or Qualification recognized as equivalent thereto by the Government [चिकित्सक का स्थायी पंजीकरण बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर में आवेदन की अंतिम दिनांक तक अद्यतन नवीनीकृत हो] इसके साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी की इंटर्नशिप पूर्ण होनी चाहिये।
16.	होम्यो. चिकित्सा अधिकारी		Degree of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) (University of Rajasthan) or Degree of Homoeopathy awarded by the University of Rajasthan or Qualification recognized as equivalent thereto by the Government[चिकित्सक का स्थायी पंजीकरण होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड राजस्थान जयपुर में आवेदन की अंतिम दिनांक तक अद्यतन नवीनीकृत हो] इसके साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी की इंटर्नशिप पूर्ण होनी चाहिये।
17.	यूनानी चिकित्सा अधिकारी		Degree of Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.) (University of Rajasthan) or Qualification recognized as equivalent thereto by the Government[चिकित्सक का स्थायी पंजीकरण बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर में आवेदन की अंतिम दिनांक तक अद्यतन नवीनीकृत हो] इसके साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी की इंटर्नशिप पूर्ण होनी चाहिये।
18.	चिकित्साधिकारी आर.बी.एस.के.		आयुर्वेद, होम्योपैथ व यूनानी चिकित्सक हेतु उपरोक्तानुसार
19.	आयुष कम्पाउन्डर		आयुर्वेद नर्सिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा मय इन्टर्नशिप

उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताएँ पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये। केवल आवेदन जमा हो जाना अथवा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्राप्त हो जाना व मेरिट में नाम आ जाना नियुक्ति हेतु पर्याप्त योग्यता नहीं है। अभ्यर्थी के राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त वैध योग्यता के मूल दस्तावेज होना अनिवार्य है जिनकी जाँच के उपरान्त ही एवं सही पाये जाने पर ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किन्ही दस्तावेजों को जाँच के दौरान सरकार/विभाग द्वारा निरस्त कर दिया जाता है या योग्य नहीं माना जाता तो अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु दावेदार नहीं माना जावेगा भले ही उसने इस हेतु विज्ञापित यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं मेरिट में यथायोग्य स्थान प्राप्त कर लिया हो।

आवेदक द्वारा इन पदों हेतु आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक उपर दर्शाये गये अनुसार निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य निर्धारित योग्यताएँ अर्जित किया जाना आवश्यक है।

6. अनुभव:

उपरोक्त बिन्दु संख्या 5 में क्रम सं. 9 से 14 पर अंकित पदों के लिये निम्नानुसार अनुभव की भी अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकता होगी—

अ) क्रम संख्या 9 पर अंकित पद हेतु 20 वर्ष का कार्यानुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष अतिरिक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा समकक्ष या इससे उपर के पद पर कार्य किया हो।

ब) क्रम संख्या 10, 11, 13 व 14 पर अंकित पद हेतु कम से कम 15 वर्ष का कार्यानुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष नर्सिंग विषय अध्यापन का अनुभव होना चाहिये।

स) क्रम संख्या 12 पर अंकित पद हेतु 10 वर्ष का कार्यानुभव आवश्यक होगा।

7. आयु:—

आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम 10 के प्रावधान लागू होंगे तथा आयुष कम्पाउन्डर के लिये सम्बन्धित नियमों में उल्लेखितानुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता देय होगी।

(i) आयु सीमा की गणना 01.01.2016 को आधार मानकर की जावेगी।

(ii) अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(iii) अधिकतम आयु में राज्य सरकार के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार शिथिलता प्रदान की जावेगी—

(a) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की

छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

- (b) विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिलाओं के लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण:— विधवा अभ्यर्थी के मामले में अभ्यर्थियों को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (c) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में प्रमुख शासन, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 16 (1)(107) dis.w./s.j.ed/2011/56534 दिनांक 21.07.2011 के उप नियम 39 के अधीन नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुये अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :—
- (i) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
(ii) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष
- (d) क्लिनिकल (आयुर्वेद, होम्योपैथ व यूनानी) आयुष चिकित्सकों एवं आयुष चिकित्सक आर.बी.एस. के. (महिला/पुरुष एवं आरक्षित/अनारक्षित) हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है।
- (e) भूतपूर्व सैनिकों हेतु अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

8. चयन का आधार एवं वरीयता सूची तैयार करने का आधार :—

- (i) आवेदित पद हेतु आवेदकों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर श्रेणीवार तैयार वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) से किया जावेगा। यदि आवेदकों का साक्षात्कार भी लेना अनिवार्य समझा जाता है तो ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांकों का 85 प्रतिशत एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों का 15 प्रतिशत भार मानकर गणना की जावेगी व तदनु रूप दोनों के संयुक्त प्राप्तांकों की मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी।
- (ii) परीक्षा की संभावित तिथि फरवरी माह में 21.2.16 एवं/अथवा 28.2.16 है।
- (iii) परीक्षा की तिथि, स्थान व समय में बिना कारण बताये एवं किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
- (iv) अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा परीक्षा की तिथि से 2 दिन पूर्व से परीक्षा के एक घंटे पूर्व तक उपलब्ध रहेगी।
- (v) परीक्षा का स्थान व समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के साथ प्रदान किया जावेगा।

- (vi) परीक्षा में जिस संवर्ग का पद है उसकी न्यूनतम योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट) से सम्बन्धित समस्त विषयों के एवं सामान्य ज्ञान तथा एन.एच.एम. व राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सम्बंधी 'मल्टीपल च्वाइस' प्रश्न निम्नलिखित अनुपात में पूछे जायेंगे—

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का विवरण	प्रश्नों का संभावित प्रतिशत
1	जिस पद हेतु आवेदन किया है उससे सम्बन्धित न्यूनतम प्रोफेशनल योग्यता के विषय (विषयों) से सम्बन्धित प्रश्न उदाहरणार्थ आयुष चिकित्सक संवर्ग हेतु आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी पद्धतियों से सम्बन्धित स्नातक स्तर पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जा सकेंगे।	60 प्रतिशत
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं से सम्बन्धित प्रश्न	15 प्रतिशत
3	सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान के प्रश्न जिसमें विभिन्न कार्यक्रम, पॉलिसी, गतिविधियां आदि शामिल हैं	15 प्रतिशत
4	राजस्थान के संबन्ध में सामान्य ज्ञान (राजस्थान का विकास, भूगोल, इतिहास, परम्परा एवं विरासत, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, लोक मेले, संगीत, त्यौहार, संस्कृति, पर्यटन स्थल, भाषा, साहित्य, कृतियां, बोलियां आदि	5 प्रतिशत
5	समसामयिक घटनायें (अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यीय घटनाएं)	5 प्रतिशत
	कुल	100 प्रतिशत

- (vii) परीक्षा केन्द्र पर अनुचित साधनों यथा मोबाइल फोन, ब्लू टूथ, आपत्तिजनक पठन सामग्री, किताबें नोट्स इत्यादि सहित किसी भी ऐसी वस्तु, औजार, हथियार का साथ लाना निषिद्ध है जो नकल करने की सामग्री हो अथवा जो नकल करने में सहायक हो सकता हो।
- (viii) परीक्षा किसी भी ऐसे केन्द्र पर की जावेगी जहाँ कम्प्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट लेने की सुविधा उपलब्ध हो। परीक्षा केन्द्र का चयन करने की परीक्षार्थी को छूट नहीं होगी।
- (ix) परीक्षा केन्द्र राजस्थान के सभी या कुछ ही जिलों में, जैसी भी सुविधा उपलब्ध हो या आवश्यकता हो, रखे जावेंगे।
- (x) परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा।

फार्मासिस्ट आर.बी.एस.के. एवं फार्मासिस्ट जिला चिकित्सालय एवं सी.एच.सी. हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी संयुक्त रूप से केवल फार्मासिस्ट हेतु आवेदन आवेदन करें। मेरिट में जो अभ्यर्थी आगे होंगे उनसे फार्मासिस्ट जिला चिकित्सालय एवं सी.एच.सी. के पद भरने के उपरान्त फार्मासिस्ट आर.बी.एस.के. के पदों को भरा जावेगा। इसी तरह चिकित्सक आयुर्वेद, चिकित्सक होम्योपैथी एवं चिकित्सक यूनानी हेतु आवेदन करने वाले चिकित्सकों में से ही आयुष चिकित्सक आर.बी.एस.के. के पद वैध आवेदितों की संख्या के समानुपात में भरे जावेंगे।

9. चयन के लिये अयोग्यता:-

- (i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।
- (ii) शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे।
- (iii) आवेदक के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताएँ पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।
- (iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

10. दस्तावेजों का सत्यापन :-

- (i) वरीयता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा आहूत करने पर तय स्थान पर व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र मय चैक लिस्ट विभाग द्वारा तय निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके साथ अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, ऑनलाईन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता/अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी और विभाग द्वारा बुलाये जाने पर उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्रों से प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान नहीं कराने पर आवेदक पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (ii) आवेदन करने के लिए जिन दस्तावेजों/प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनमें से कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र यदि आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद जारी किया गया है तो वह मान्य नहीं होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन की आवश्यकता अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयन करने के पश्चात् कार्यग्रहण से पूर्व होगी।

- (iii) दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् ही उनकी नियुक्ति बाबत् विचार किया जावेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का सत्यापन जारी करने वाली संस्था/सक्षम अधिकारी के कार्यालय से सत्यापन होने के पश्चात् ही मूल दस्तावेज लौटाये जावेंगे।
- (iv) आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर ही चयन प्रक्रिया में प्रोविजनल रूप से सम्मिलित किया जावेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत/घोषित दस्तावेजों की वैधता एवं पात्रता संबंधी जांच करवाने का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- (v) कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर भ्रामक, सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

11. सामान्य निर्देश :-

- (i) अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि से 6 माह पूर्व तक की अवधि में राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, जिसमें क्रीमीलेयर/नॉनक्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः होनी चाहिये। इन वर्गों के क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
- (ii) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज न तो जोड़ा जावेगा और ना ही संशोधित किया जावेगा।
- (iii) अनुसूचित क्षेत्र/सहरिया क्षेत्र के निवासी जो अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी हैं, वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो अनुसूचित क्षेत्र/सहरिया क्षेत्र का हो, संलग्न करना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
- (iv) ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अपनी निःशक्तता के संबंध में सक्षम चिकित्सक/चिकित्सा मण्डल द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (v) शासन के परिपत्र क्रमांक प. 6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण की प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। यदि उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाह हो चुका है तो इस आशय का शपथ पत्र 10/-रु० के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- (vi) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों द्वारा नियमों में विहित स्तर (मेडिकल बोर्ड) से जारी प्रमाण पत्र जिसमें विशेष योग्यजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख होना चाहिये, मान्य होगा।
- (vii) चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, अन्य योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश हेतु विचार किया जायेगा।
- (viii) चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन विभाग की आवश्यकता, प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से राजस्थान में किसी भी स्थान पर किये जाने के लिये विभाग स्वतंत्र होगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन का दावा नहीं करेगा।

- (ix) जो आवेदक वर्तमान में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था/संस्थान/फर्म में नियुक्त हैं, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे आवेदकों को अपने नियोक्ता से इस भर्ती में आवेदन करने से पूर्व नवीनतम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिये। इस विज्ञापन से पूर्व की तिथि के अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (x) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु निर्धारित आयुष चिकित्सकों के पदों में से आधे पद भारत सरकार के निर्देशानुसार महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे।